



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-22072026-274671
CG-AS-E-22072026-274671

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3767]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948

No. 3767]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगांव, 16 जुलाई, 2026

का.आ. 3931(अ).—जबकि भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या S.O. 4578 (E) दिनांक 07 अक्टूबर 2025, जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, के माध्यम से, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20A की उपधारा (1) के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् सिवोक-रंगपो (नई लाइन) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन हेतु उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित भूमि के अधिग्रहण का अपना आशय घोषित किया था।

और जहाँकि उक्त अधिसूचना का सारांश उक्त अधिनियम की धारा 20A की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्र “द स्टेट्समैन” दिनांक 07 मार्च 2026, “जनपथ समाचार” दिनांक 07 मार्च 2026 तथा “हिमालय दर्पण” दिनांक 07 मार्च 2026 में प्रकाशित किया गया था;

और जहाँकि सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और जहाँकि कोई आपत्ति याचिका प्राप्त नहीं हुई है, अतः उक्त अधिनियम की धारा 20E की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा केंद्र सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 20E की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20E की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों एवं दावों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना सिवोक-रंगपो (नई लाइन) के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित अथवा बिना संरचना वाली अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – दार्जिलिंग

क्र. सं.	थाना का नामसंख्या/	ग्राम का नाम / संख्या	सर्वेक्षण सं/प्लॉट सं ल.र. र.स.		भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	क्षेत्रफल (एकर)	भूमि स्वामीहितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
१	रंगली रंगलियोट	रोंगचोंग खासमहल	१२१	७४	निजी	सूखा खेत	०.२१८	०.५४०	सुश्री रूथकेलमिथ लेप्चा, श्री दीपक सुब्बा एवं अन्य —
२	रंगली रंगलियोट	रोंगचोंग खासमहल	१२३	७९	निजी	सूखा खेत	०.१२०	०.२९७	
३	रंगली रंगलियोट	रोंगचोंग खासमहल	१२९	८७	निजी	बंझो	०.०३८	०.०९४	

[फा. सं. W/207/CON/Sivok-Rangpo/Land/160726]

संजीव कुमार, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northeast Frontier Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 16th July, 2026

S.O. 3931(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 4578 (E) dated 07 October 2025 published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section-3, Sub section (ii) issued under sub-section (1) of section 20A of The Railways Act, (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Sivok-Rangpo (New Line) in the District Darjeeling, in the State of West Bengal.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily “The Statement” dated 07th March 2026, “Janpath Samachar” dated 07th March, 2026 and “Himalaya Darpan” dated 07th March 2026 under sub-section (4) of Section 20A of the said act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority.

And whereas no objection petition has been received, question of submission of report by The Competent Authority to Central Government in pursuance of sub section (1) of Section 20(E) of the said Act does not arise.

Now, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule below shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub section (2) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule below hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of Sivok-Rangpo (New Line) District-Darjeeling in the state of West Bengal.

Name of the District – Darjeeling

Sl. No	Name of Thana/No	Name of Mouza	Survey Number/Block Number L.R. R.S		Type of Land	Nature of Land	Area in Hect.	Area in Acre.	Name of the Land Owner/Interest Person
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	Rangli Rangliot	Rongchong Khasmahal	121	74	Private	Sukha khet	0.218	0.540	Ms Ruthkelmith Lepcha, Shri Dipak Subbha and Others.
(2)	Rangli Rangliot	Rongchong Khasmahal	123	79	Private	Sukha khet	0.120	0.297	
(3)	Rangli Rangliot	Rongchong Khasmahal	129	87	Private	Banjho	0.038	0.094	

[F. No. W/207/CON/Sivok-Rangpo/Land/160726]

SANJEEV KUMAR, Chief Engineer